1845,
28/5/14

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

क्रमांकः 13 / 17 / 1704 / 7713 दिनांक 18/5/14

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– परिवाद संख्या 13 / 17 / 1704

महोदय,

माननीय आयोग के निर्देशानुसार आयोग के आदेश दिनांक 30.04.2014 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवावें एवम् आपके कार्यालय के किसी विज्ञ अधिकारी को आगामी पेशी दिनांक 03.07.2014 को प्रातः 11.30 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति से अवगत कराने हेतु पाबन्द करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

परिवाद संख्या.................

30.04.2014 परिवाद संख्याः 13 / 17 / 1704

समक्षः एकलपीठ

माननीय सदस्य डा. एम.के. देवराजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित **रिपोर्ट** कमांक एफ 30( )2013–14 / लेखा / प्रमुवसं / 256 दिनांक 16.04.2014 का अवलोकन किया।

2. निम्नांकित प्रकरण जो पेंशन विभाग को भेजे जा चुके हैं, उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाते हुये प्रगति से आयोग को अवगत करावें:–

क.स.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृत्ति / मृत्यु दिनांक
1	स्व. गुल मोहम्मद	चालक	एवसं, सीकर	7.12.11
2	श्री किशोर सिंह	स. वनपाल	उवसं, सीकर	30.09.12
3	श्री पन्ना लाल	वनपाल	उवसं, जैसलमेर	3.11.12
4	श्री अली खां	बेलदार	उवसं, जैसलमेर	31.07.2008
5	श्री ताजे खां	बेलदार	उवसं, जैसलमेर	31.10.2011
6	श्री भंवर सिंह	वाहन चालक	उवसं, जैसलमेर	01.05.2006
7	श्री नगाराम	वनपाल	उवसं, जालौर	31.07.2012
8	श्री भंवर सिंह	कैटल गार्ड	उवसं, जालौर	30.09.2012
9	श्री करण सिंह	कैटल गार्ड	उवसं, जोधपुर	28.02.2013
10	श्री भंवर लाल जोशी	कैटल गार्ड	उवसं, उदयपुर	31.12.2012
11	श्री भीमराज मीणा	स. वनपाल	उवसं, उदयपुर	31.05.2013
12	श्री कुबेर चन्द	वन रक्षक	उवसं, डूँगरपुर	31.07.2013
13	श्री औम प्रकाश जाटव	वनपाल	उवसं, गंगानगर	18.05.2011
14	श्री छीतरलाल सुमन	कैटल गार्ड	उवसं, बारां	31.05.2005
15	श्री जोरावर सिंह	वन रक्षक	उवसं, जयपुर	14.02.2013
16	श्री अनोपाराम	स. वनपाल	उवसं, जैसलमेर	31.03.2013
17	श्री मनफुल वर्मा	क्षेत्रीय–I	उवसं, उदयपुर	22.05.2011
18	श्री गिरधीलाल नागर	सर्वेयर	बनास नदी परियोजना, सवाई माधोपुर	31.07.2012
19	स्व. श्री घासी	वृक्षपाल	उवसं, जयपुर	06.01.2009
20	श्री मदनलाल वर्मा	क्षेत्रीय–II	उवसं, झालावाड़	21.10.2012
21	श्री जगदीशसिंह नाथा,	क्षेत्रीय–II	उ.वसं., कोटा	31.08.2012

3. श्री विश्वप्रकाश भटनागर, क्षेत्रीय–I, उवसं. कार्यालय, उदयपुर द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार करने में सहयोग नहीं करने एवं श्री मोहन लाल वर्मा, क्षेत्रीय–II का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित रहने से आयोग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से ये दोनों प्रकरण **Drop** किये जाते हैं।

4. जो प्रकरण आयोग के स्तर पर Drop कर दिये जाते हैं उनकी पुनरावृति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है निम्न प्रकरण जो आयोग के स्तर पर पूर्व में ही **Drop** किये जा चुके हैं, उनके बारे में पुनः उल्लेख नहीं किया जावेः–

क.स.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृति / मृत्यु दिनांक
1	श्री पुष्कर सिंह ✓	वनपाल	उवसं, चित्तौड़गढ़	15.05.2000
2	श्री भूप सिंह ✓	उवसं	मुवसं, बीकानेर	28.02.2009
3	स्व. श्री महेन्द्र सिंह ✓	वन रक्षक	उवसं, नागौर	31.08.2013
4	स्व. श्री मेगाराम ✓	कैटल गार्ड	उवसं, नागौर	18.12.2008
5	श्री राम प्रसाद बैरवा ✓	वनरक्षक	उवसं, जयपुर	15.07.2009
6	श्री देवीसहाय मीणा ✓	वनरक्षक	उवसं, सरिस्का	10.05.2009
7	श्री अमरकरण जोशी ✓	क्षेत्रीय–II	उवसं, जोधपुर	22.06.2000
8	श्री भैरूँसिंह झाला ✓	सवसं	उवसं, उदयपुर	06.11.2000
9	श्री पृथ्वीराज जोशी ✓	क.लि.	उवसं, भरतपुर	14.12.2012
10	श्री रामप्रसाद सुमन ✓	कैटलगार्ड	मुवसं, कोटा	28.10.2009
11	श्री फूलचन्द बैरवाल ✓	क्षेत्रीय–I	उवसं, अलवर	31.01.2012
12	श्री हरदीप कौर ✓	च.श्रे.क.	उवसं, सूरतगढ़	19.09.2009

5. निम्नांकित पेंशन प्रकरण जिनमें पेंशन स्वीकृत होकर पीपीओ, जीपीओ जारी हो चुके हैं, उनमें अब आयोग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण **Drop** किये जाते हैं:– .

क.स.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृति / मृत्यु दिनांक
1	श्री लालाराम	कैटलगार्ड	उवसं, पाली	31.05.2013
2	श्री छोगाराम	कैटलगार्ड	उवसं, पाली	31.05.2013
3	श्री कुशाल सिंह,	ट्रेक्टर गार्ड	उवसं, जैसलमेर	30.04.2013
4	श्री गंगाराम	वनपाल	उवसं, बाड़मेर	11.07.2013
5	श्री मांगीलाल	वनपाल	उवसं, बाड़मेर	11.07.2013

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

परिवाद संख्या..................

(3)

[illegible]	श्री पकाराम	बेलदार	उवसं, बाड़मेर	04.08.2012
[illegible]	श्री सादी खां	बेलदार	उवसं, बाड़मेर	31.03.2013
[illegible]	श्री गेमराराम	बेलदार	उवसं, बाड़मेर	30.04.2013
[illegible]	श्री अलीखां	बेलदार	उवसं, बाड़मेर	04.03.2013
[illegible]	श्री मोती	केटलीगार्ड	उवसं, उदयपुर	02.07.2012
[illegible]	स्व. श्री हीरालाल सालवी	वनरक्षक	उवसं, उदयपुर	13.07.2008
12	श्री मोहनदास बेरागी	स. वनपाल	उवसं, उदयपुर	30.06.2013
13	श्री खुमसिंह सिसोदिया	चालक	उवसं., उदयपुर	14.03.2013
14	श्री हरिशंकर मीणा	च.श्रे.क.	उवसं, उदयपुर	31.07.2012
15	श्री कुरनाथ	स. वनपाल	उवसं, उदयपुर	31.03.2013
16	श्री रामावतार गुप्ता	क्षेत्रीय–I	कार्य आयो अधि. उदयपुर	31.07.2010
17	श्री दशरथलाल चौबीसा	स. वनपाल	उवसं, बांसवाड़ा	30.04.2013
18	श्री नरपतसिंह	स. वनपाल	उवसं, बांसवाड़ा	31.05.2013
19	श्री भूरालाल कटारा	वनपाल	उवसं, बांसवाड़ा	31.05.2013
20	श्री लक्ष्मीलाल	वनपाल	उवसं, बांसवाड़ा	31.05.2013
21	श्री गांगू बंजारा	बेलदार	उवसं, चित्तौड़गढ़	30.04.2013
22	श्री सहदेव सिंह	लेखाकार	उवसं, चूरू	30.06.2013
23	श्री गिर्राज सिंह	वनपाल	मुवसं, भरतपुर	17.04.2013
24	श्री बाबूलाल	पम्प चालक	उवसं, भरतपुर	31.03.2013
25	श्रीमती प्रकाशी	बेलदार	उवसं, भरतपुर	23.02.2013
26	श्री कल्ला	बेलदार	उवसं, भरतपुर	10.01.2013
27	श्री चन्दो देवी	बेलदार	उवसं, भरतपुर	30.04.2013
28	स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा	वनरक्षक	उवसं, नागौर	16.08.2012
29	श्री गनी खां	पम्प चालक	उवसं, टौंक	19.03.2013
30	स्व. श्री राम नारायण	—	उवसं, बूंदी	13.07.2012
31	स्व. श्री चौथमल	कैटलगार्ड	उवसं, बूंदी	13.05.2013
32	श्री सुरेश चन्द	—	उवसं, सरिस्का	15.10.2012
33	श्री दानाराम	वृक्षपालक	उवसं, जैसलमेर	20.04.2011
34	श्री राधेश्याम शर्मा	क्षेत्रीय–II	उवसं, आबूपर्बत	30.06.2013
35	श्री नाथूराम	वनरक्षक	उवसं, राजसमन्द	05.10.2012
36	श्री घीसू सिंह	स. वनपाल	उवसं, स.माधोपुर	25.10.2012
37	श्री श्योराम	जमादार	उवसं, स.माधोपुर	08.11.2012
38	श्री नारायणलाल कुमावत	आर्टिस्ट	उवसं, स.माधोपुर	31.05.2013
39	श्री महेन्द्रसिंह शर्मा	सर्वेयर	मुवसं, कोटा	1.406.2013
40	श्री अब्दुल रसीद	क.लि.	उवसं, कोटा	24.04.2013
41	श्री अमरलाल मीणा	कैटलगार्ड	उवसं., कोटा	1.03.2013
42	श्री अमरलाल नागर	कैटलगार्ड	उवसं, कोटा	1.06.2013
43	श्री तेज सिंह	कैटलगार्ड	उवसं, बेगू	31.03.2013
44	स्व. श्री गजराजसिंह	क्षेत्रीय–II	उवसं, बीकानेर	16.03.2013

45	श्री रूपसिंह	बेलदार	उवसं, बीकानेर	30.04.2013
46	श्री हजारी लाल	कैटलगार्ड	उवसं, अलवर	20.04.2013
47	श्री नारू	पशुरक्षक	उवसं, उदयपुर	16.02.2013
48	श्रीमती तुलसी	कुली	उवसं, बांसवाड़ा	12.02.2008
49	स्व. श्री भग्गूराम मीणा	कैटलगार्ड	उवसं, प्रतापगढ़	24.02.2013
50	श्री मोहन सिंह	वृक्षपालक	उवसं, भरतपुर	28.02.2013
51	श्री औम प्रकाश शर्मा	वृक्षपालक	उवसं, करौली	21.11.2012
52	श्री छोटूलाल	वृक्षपालक	उवसं, स.माधोपुर	28.09.2012
53	श्री मूलाराम	स. वनपाल	उवसं, सिरोही	31.08.2009
54	श्री रामपाल इन्दालिया	क्षेत्रीय–I	का.आ.अ. उदयपुर	31.05.2011
55	श्री रामस्वरूप जोशी	क्षेत्रीय–I	उवसं, सिरोही	30.06.2011
56	श्री छीतरलाल तिवाड़ी	स. वनपाल	उवसं, बूँदी	31.08.2010
57	श्री कालूराम	स. वनपाल	उवसं, बूँदी	31.12.2012
58	श्री नरदेव पारीक	क्षेत्रीय–II	उवसं, जयपुर	31.07.2012
59	श्रीमती धापा देवी	कुली	उवसं, जयपुर	30.04.2013
60	श्री विश्वप्रकाश भटनागर	क्षेत्रीय–I	उवसं, उदयपुर	31.07.2012
61	श्री मोहन लाल वर्मा	क्षेत्रीय–II	उवसं, करौली	21.06.2000

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होगा कि निम्नांकित पेंशन प्रकरणों में वांछित कार्यवाही समय पर नहीं होने के कारण कार्मिक को पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि इन सभी प्रकरणों में सेवानिवृति/मृत्यु दिनांक से पेंशन स्वीकृति दिनांक तक प्रत्येक प्रकरण में दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की सूचना (Chronological Report) आयोग को दो माह के अन्दर प्रेषित की जावे तथा क्यों नहीं देरी से भुगतान करने के लिये संबंधित कार्मिक को राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावें:–

क्र. स.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृति /मृत्यु दिनांक	पेंशन स्वी./ निस्तारण दिनांक
1	श्री भगवान सिंह	क्षेत्रीय–II	उवसं, दौसा	31.10.2012	11.10.13
2	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	कैटल गार्ड	उवसं, अलवर	04.11.2010	23.09.13
3	श्री कल्याण सहाय मीणा	स. वनपाल	उवसं, अलवर	31.05.2012	08.07.13
4	श्री कोजसिंह	स. वनपाल	उवसं, बाड़मेर	30.11.2008	27.09.13

[illegible]	श्री अर्जुन सिंह जुगतावत	उवस	उवसं, बांसवाड़ा	31.08.2011	08.11.13
[illegible]	श्री रामलाल	बेलदार	उवसं, बीकानेर	18.05.2011	23.09.13
7	श्री फूलसिंह	वृक्ष पालक	उवसं, भरतपुर	30.06.2010	08.07.13
8	श्री माधोसिंह	कैटलगार्ड	उवसं, जोधपुर	05.01.2011	25.09.13
9	श्री राजेन्द्रकुमार वर्मा	क्षेत्रीय–II	उवसं, बूँदी	19.06.2000	22.10.13
10	श्री हनुमान नाथ	स. वनपाल	उवसं., जयपुर	30.06.2012	05.06.13
11	श्री श्यामलाल औदित्य		उवसं, उदयपुर	07.03.2008	25.11.13
12	श्री प्रहलाद सिंह भाटी	वायरलैस अटेन्डेन्ट	उवसं, उदयपुर	05.08.2009	29.08.13
13	श्री मोहब्बत सिंह	चौकीदार	उवसं, उदयपुर	03.02.2012	12.11.13
14	श्री देवा मीणा	पशुरक्षक	उवसं, उदयपुर	30.04.2012	18.07.13
15	स्व. श्री गांगू खां	कैटल गार्ड	उवसं, चित्तौड़गढ़	06.10.2006	30.07.13
16	स्व. श्रीअवधबिहारी भार्गव	तुलारा	उवसं., चित्तौड़गढ़	04.03.2007	25.06.13
17	श्री चिरंजीलाल मीणा	वृक्षपालक	उवसं, करौली	06.01.2012	04.07.13
18	श्री श्याम सिंह	साद विश्लेषक	उवसं, बेगू	30.09.2007	19.09.13
19	श्री मांगीलाल	चौकीदार	उवसं, उदयपुर	16.12.2010	17.09.13
20	श्रीमती कानी बाई	बेलदार	उवसं, उदयपुर	08.102011	18.10.13
21	श्री जयसिंह	कैटल गार्ड	उवसं, सीकर	31.01.2013	06.01.14
22	श्री बिल्लू सिंह	क्षेत्रीय–II	उवसं, अलवर	29.02.2012	17.07.13
23	स्व. श्री मानसिंह	वन रक्षक	उवसं, प्रतापगढ़	21.10.2012	15.01.14
24	श्री नत्थीलाल शर्मा	क्षेत्रीय–I	मु.वसं., भरतपुर	31.08.2010	04.03.14
25	श्री बदन सिंह	बेलदार	उवसं, भरतपुर	30.09.2012	26.09.13
26	श्री सगन्दर सिंह	क्षेत्रीय–I	उवसं, धौलपुर	31.01.2009	20.01.14
27	श्री चौथीलाल मीणा	वनपाल	उवसं, करौली	23..9.2012	14.02.14
28	श्री नथोलीराम	वनपाल	उवसं, बीकानेर	05.09.2003	06.02.14
29	श्री मकतूल मीणा	वनरक्षक	उवसं, जोधपुर	07.04.2012	30.09.13
30	श्री कानाराम	चौकीदार	उवसं, उदयपुर	25.01.2012	09.01.14
31	श्री धुडमल गुर्जर	चौकीदार	उवसं, जयपुर	31.07.2002	16.01.14
32	श्री सुगनचन्द वृक्षपालक	वृक्षपालक	उवसं, जयपुर	30.09.2012	07.03.14
33	श्री लक्ष्मण मीणा	वृक्षपालक	उवसं, जयपुर	31.12.2012	16.12.13
34	श्री नंगा	पशुरक्षक	उवसं, उदयपुर	01.01.2012	13.01.14
35	श्री भवानी सिंह	क्षेत्रीय–II	उवसं, जैसलमेर	30.09.2011	15.01.14
36	श्री गोलीराम	बेलदार	उवसं, धौलपुर	21.05.12	अस्पष्ट

7. नीचे अंकित प्रकरणों के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रकरणों में वांछित कार्यवाही कर पेंशन विभाग को भेजने में अत्यधिक देरी हुई है एवं उक्त देरी के लिये कोई विशिष्ट कारण अंकित नहीं किये गये हैं। अतः इन प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण तथा इनमें

हुई प्रगति यथा अब प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है, अवगत करावें तथा सेवानिवृति/मृत्यु दिनांक से आज दिनांक तक प्रकरण में की गई कार्यवाही की सूचना (Chronological Report) आयोग को प्रस्तुत की जावे:—

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृति /मृत्यु दिनांक
1	स्व. श्री शंकर सिंह	कैटलगार्ड	उवस. सीकर	16.10.2012
2	श्री चिमनाराम	क्षेत्रीय—II	उवस. सिरोही	31.07.2011
3	श्री रामप्रकाश सिंघल	क्षेत्रीय—I	मुवस., भरतपुर	31.05.2010
4	श्रीमती जुग्गी	कुली	उवस. स.माधोपुर	30.09.2011
5	श्री कैलाशचन्द कहार	च.श्रे.क.	उवस.कोटा	10.02.2003
6	श्री हरफूल	स. वनपाल	उवस., कोटा	30.11.2007
7	श्री प्रदीप कुमार जोशी	वनपाल	उवस., कोटा	31.07.2007

8. रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्नांकित प्रकरणों में संबंधित कार्यालयों के स्तर पर अत्यधिक देरी हुई है एवं प्रकरण के निस्तारण में काफी विलम्ब हुआ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि इन प्रकरणों का परीक्षण कर देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा क्यों नहीं देरी से भुगतान के लिये संबंधित कार्मिक को राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावें। इस संबंध में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करें इन प्रकरणों के संबंध में आयोग को आगे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है:—

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवानिवृति /मृत्यु दिनांक	पेंशन रवी. दिनांक
1	श्री हरलाल मीणा	वनपाल	उवस. झून्झूनू	31.12.2012	10.07.13
2	श्री मंगलचन्द	कैटलगार्ड	उवस. झून्झूनू	30.04.2013	18.10.13
3	श्रीमती सुण्डलीदेवी	कुली	उवस. झून्झूनू	13.02.2013	23.10.13
4	श्री गुलाबसिंह	बेलदार	उवस. सीकर	31.01.2013	02.09.13
5	श्री भोपालराम	बेलदार	उवस., सीकर	28.02.2013	16.08.13
6	श्रीमती गेन्दी	बेलदार	उवस. सीकर	31.03.2013	22.07.13
7	श्री मूलाराम	कैटलगार्ड	उवस., सीकर	31.03.2013	30.12.13

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

(7)

परिवाद संख्या.................

[illegible]	श्री [illegible] वर्मा	क्षेत्रीय–II	उवसं, अलवर	30.04.2012	13.01.14
[illegible]	श्री [illegible]लाल	स.वनपाल	उवसं, भरतपुर	31.05.2013	05.12.13
[illegible]	श्री जगदीश प्रसाद	स. वनपाल	उवसं., भरतपुर	31.05.2013	11.10.13
[illegible]	श्री [illegible]सिंह	स. वनपाल	उवसं., धौलपुर	30.04.2013	17.09.13
[illegible]	श्री [illegible]नारायण	बेलदार	उवसं, बीकानेर	31.08.2013	31.03.14
[illegible]	श्री भैरूं गुर्जर	वृक्षपालक	उवसं, जयपुर	3103.2013	13.01.14
[illegible]	श्री शिवराम	बेलदार	उवसं, भरतपुर	07.04.2013	03.12.13
15	स्व श्री गोवर्धन	बेलदार	उवस, बूँदी	24.05.2013	26.12.13
16	श्री दयाराम उपाध्याय	वनपाल	उवसं, अलवर	23.07.2012	18.07.13
17	श्री भंवर सिंह उदावत	कैटलगार्ड	उवसं, पाली	25.06.2012	25.06.13
18	श्री सुगन सिंह	वनपाल	उवसं, जैसलमेर	28.02.2013	12.09.13
19	श्री विश्व विकास	क्षेत्रीय–I	उवसं, जैसलमेर	30.04.2010	1.10.13
20	श्री मोहसिन अली	वनरक्षक	उवसं, जैसलमेर	03.03.2013	7.10.13
21	श्री जालम सिंह	क.लि.	उवसं, जैसलमेर	31.05.2013	13.09.13
22	श्री जयनारायण गह.	क्षेत्रीय–II	उवसं, बाड़मेर	23.06.2000	16.12.13
23	श्री मानसिंह	चौकीदार	उवसं., बाड़मेर	16.10.2012	05.07.13
24	श्री मगाराम	बेलदार	उवसं., बाड़मेर	31.01.2013	27.08.13
25	श्री तुलछा राम	बेलदार	उवसं, बाड़मेर	28.02.2013	13.09.13
26	श्री जैसाराम	कैटलगार्ड	उवसं, जालोर	29.02.2012	16.08.13
27	श्री भैरूं पुरी	कैटलगार्ड	उवसं, जालोर	10.01.2013	11.09.13
28	श्री दलपत सिंह	बेलदार	उवसं, उदयपुर	31.01.2013	10.09.13
29	श्री नवल सिंह	बेलदार	उवसं, उदयपुर	12.02.1993	12.12.13
30	श्री नवा	कैटलगार्ड	उवसं, उदयपुर	31.03.2013	29.08.13
31	श्रीमती अनुराधा दीक्षित	क.लि.	उवसं, डूँगरपुर	31.03.2013	01.11.13
32	श्री बिठठला	कैटलगार्ड	उवसं, बांसवाड़ा	01.01.2012	10.07.13
33	श्री केसरीमल	स. वनपाल	उवसं, बांसवाड़ा	27.02.2012	01.08.13
34	श्री गिरीश	कैटलगार्ड	उवसं, बांसवाड़ा	20.03.2013	03.09.13
35	श्री रणजीत सिंह	वृक्षपालक	उवसं, बीकानेर	12.12.2012	19.10.13
36	श्री अमरसिंह	बेलदार	उवसं, बीकानेर	31.05.2013	30.09.13
37	श्री नेमाराम	वृक्षपालक	उवसं, बीकानेर	18.05.2013	11.10.13
38	श्री मानसिंह	स. वनपाल	उवसं, भरतपुर	30.11.2012	06.06.13
39	श्री शिवचरण धाकण	वृक्षपालक	उवसं, भरतपुर	30.03.2012	26.10.12
40	श्री भवानीराम धाकड	कैटलगार्ड	उवसं, भीलवाड़ा	30.11.2012	21.05.13
41	श्री जगदीशप्रसाद चौ.	क्षेत्रीय–I	उवसं, कोटा	28.02.2013	20.11.13
42	स्व. देवकिशन	कैटलगार्ड	उवस, बूँदी	08.10.2012	30.07.13
43	श्री मेहरदीन	बेलदार	उवसं, जैसलमेर	31.12.2012	22.06.13
44	श्री अर्जुनराम मीणा	वनपाल	उवसं, उदयपुर	31.03.2008	26.08.13
45	श्री छगनलाल	बेलदार	उवसं, राजसमंद	30..09.2012	23.07.13
46	श्री रघुराज सिंह	क्षेत्रीय–II	उवसं, जयपुर	25.03.2013	02.09.13

9. श्री केवलराम मीणा, क्षेत्रीय–II सेवानिवृति दिनांक 31.03.2013 एवं श्री नरेन्द्र कुमार भार्गव, जो दिनांक 31.05.2012 को सेवानिवृत हुये हैं, के प्रकरणों के संबंध में पूर्ण विवरण आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जावे, कार्मिक को विभागीय जांच के संबंध में आरोप–पत्र कब जारी किया गया, अब प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है तथा देरी के क्या कारण रहे हैं एवं सेवानिवृति दिनांक से आज दिनांक तक प्रकरण में दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की सूचना Chronological Report प्रस्तुत की जावे।

10. श्री यशवन्त सिंह तौमर, क्षेत्रीय–II सेवानिवृति दिनांक 31.10.2012, श्री बलवीर सिंह, क्षेत्रीय–I, श्री नारायण लाल कुम्हार, सेवानिवृति/मृत्यु दिनांक 26.03.2010, श्री शंकर लाल, उवसं कार्यालय, उदयपुर की सेवानिवृति दिनांक 31.07.2008 एवं श्री सांवतसिंह, स. वनपाल जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.01.2001 को होना अंकित किया गया है, के प्रकरणों का निस्तारण अभी तक नहीं होना खेदजनक है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि इन प्रकरणों के संबंध में आपके कार्यालय के किसी **विज्ञ अधिकारी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.07.2014 को प्रातः 11.30 बजे आयोग** के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति से अवगत कराने हेतु पाबन्द किया जावे।

11. श्री बाबूलाल जैन, क्षेत्रीय–II, सेवानिवृति दिनांक 30.06.2012, श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया, सेवानिवृति दिनांक 31.07.2009, श्री जालम सिंह, क्षेत्रीय–II, सेवानिवृति दिनांक 30.06.2007, श्री भंवरलाल गौतम, सेवानिवृति दिनांक 31.08.2011, श्री दलवीर सिंह, क्षेत्रीय–II सेवानिवृति दिनांक 31.07.2007, श्री हरिसिंह, सेवानिवृति दिनांक 28.02.2009 एवं श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिशाषि अभियन्ता, सेवानिवृति दिनांक 28.02.2009 के लम्बित पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाकर आयोग को प्रगति से अवगत कराया जावे।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

(9)

परिवाद संख्या..............

12. श्री शम्भूसिंह, वनरक्षक, उवसं, कार्यालय, पाली की दि0 30.11.11 को मृत्यु होना अंकित किया गया है। इस प्रकरण में देरी किस कारण से हुई है, अंकित नहीं किया गया है। अतः देरी के कारणों से अवगत कराते हुये प्रगति से आयोग को अवगत कराया जावे।

13. श्री चोलाराम, बेलदार, उवसं कार्यालय बाड़मेर दिनांक 31.03.2013 को सेवानिवृत हुये हैं। इनके प्रकरण में टी.ई. जारी नहीं होना अंकित किया गया है और अभी तक भी पेंशन स्वीकृत नहीं होने से पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं हुआ है। अतः उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बाड़मेर से जानकारी प्राप्त की जावे कि उक्त कार्मिक की टी.ई. जारी करने में क्या दिक्कत हो रही अतः इस प्रकरण में क्यों नहीं देरी से भुगतान के लिये राजस्थान सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावें।

14. श्री रामा, कैटलगार्ड, उवसं, कार्यालय, उदयपुर के प्रकरण में कार्मिक से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र चाहे गये हैं। इस प्रकरण में कार्मिक की सेवानिवृति दिनांक अंकित नहीं की गई है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जावे कि वे उक्त कार्मिक की सेवानिवृति दिनांक अंकित करते हुये प्रकरण में हुई प्रगति से आयोग को अवगत कराया जावे।

15. आज आयोग में उपस्थित हुये उप वन संरक्षक, बाड़मेर से उनके समक्ष विचाराधीन पेंशन प्रकरणों के सबंध में चर्चा की गयी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी 6 Chronological Reports का अवलोकन किया। दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत हुये श्री पेमाराम, वनपाल का पेंशन प्रकरण दिनांक 31.12.2013 को स्वीकृत हुआ। इसका मुख्य कारण यह रहा कि श्री पेमाराम की जन्मतिथि में कांट–छांट होना पाया गया। वन विभाग के अनके मामलों में जन्मतिथि में कांट–छांट होने के मामले पाये जाने के कारण ऐसे कर्मचारी सेवानिवृत होने पर पेंशन विभाग द्वारा ऐसे मामलों की स्वीकृति राज्य सरकार से लेने हेतु निर्देशित करते हैं तथा इसलिये पेंशन स्वीकृत होने में काफी समय लग जाता है। अतः प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान से आगह किया जाता है कि उनके विभाग में जन्मतिथि में कांट–छांट के बहुत अधिक मामले होने के क्या कारण हैं, इसको रोकने हेतु क्या किया जा सकता है, इस संबंध में वे अपने अधिकारियों से Feed-back लेकर आवश्यक कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त समस्त सेवा पुस्तिकाओं की जांच करवाकर, अगर किसी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि की कांट–छांट पायी जाती है तो ऐसे मामलों में (चाहे कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत होने वाले हैं अथवा नहीं) राज्य सरकार को भेजना आदि समस्त औपचारिकतायें समय रहते हुये पूरी करें ताकि कर्मचारियों की सेवानिवृति के अवसर पर पेंशन प्रकरण में कोई देरी नहीं हो। इस संबंध में की गई कार्यवाही के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान अपने मुख्यालय के किसी विज्ञ अधिकारी को आगामी तारीख पेशी को प्रातः 11.30 बजे आयोग में उपस्थित होकर कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे। श्री पेमाराम के मामले को आयोग के स्तर पर ~~समाप्त~~ समापन किया जाता है।

16. श्री नारायण राम, वनपाल जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.03.2013 को हुई थी, का पेंशन प्रकरण अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। स्वीकृत होने पर आयोग को अवगत करावें। श्री नारायण राम के मामले में न्यायालय के निर्णय के कम में जिला कलक्टर से No Appeal प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.07.2013 को उप वन संरक्षक, बाड़मेर द्वारा पत्र कमांक 7082 दिनांक 29.08.2013 लिखा गया। जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा 6 महिने पश्चात् पत्र कमांक 4159 दिनांक 30.03.2014 से "No Appeal" प्रमाण–पत्र जारी किया गया। अतः जिला कलक्टर, बाड़मेर से जानकारी प्राप्त की जावे कि इस प्रकरण के संबंध में "No appeal" प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु उनके कार्यालय द्वारा 6 माह का समय कैसे लगा दिया। जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान आयोग को अवगत करावें कि इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई देरी के लिये श्री नारायण राम के पक्ष में राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत क्यों नहीं 9

अतिरिक्त ब्याज दिये जाने के आदेश प्रसारित किये जावें। वन विभाग के कई मामलों में यह देखा गया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों से संबंधित फौजदारी अथवा अन्य प्रकरणों का निर्णय न्यायालय में होने पर उसमें अपील नहीं करने का निर्णय सक्षम अधिकारी/राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरणों में विलम्ब होता है। अतः विभाग को चाहिये कि जिन कार्मिकों के मामले न्यायालय द्वारा निर्णित हैं, उनमें समय पर अपील नहीं करने काक निर्णय राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/निजी पत्रावली में रखें तथा इस संबंध में सेवा पुस्तिका में भी इन्द्राज करें। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर आपके कार्यालय के किसी विज्ञ अधिकारी को आयोग के समक्ष आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हे पाबन्द करें।

17. श्री मंगनाराम, बेलदार दिनांक 31.03.2013 को सेवानिवृत हुये हैं। पेंशन प्रकरण माह सितम्बर, 2012 तक बनाकर पेंशन विभाग को भेजना चाहिये था, जबकि यह साढ़े सात महिने बाद देरी से दि0 17.05.2013 को भेजा गया। प्रकरण के संबंध में पेशन विभाग तथा वन विभाग के बीच आक्षेप पूर्ति के संबंध में किये गये पत्राचार के कारण करीब 1 वर्ष देरी से इन्हें दिनांक 12.03.2014 को पेंशन स्वीकृत हुई है। अतः आयोग की राय में इस मामले में सेवानिवृति दिनांक से दो माह छोड़कर जब तक उसे समस्त पेंशन परिलाभों का भुगतान मिला है, तब तक की अवधि के लिये उसे राजस्थान सेवा पेंशन नियय, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश क्यों नहीं प्रसारित किये जावें, कोई कारण है तोः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान आयोग को अवगत कराया जावे।

18. श्री चन्दनसिंह, कैटलगार्ड दिनांक 30.04.2013 को सेवानिवृत हुये हैं तथा दिनांक 10.12.2013 को इन्हें पेंशन स्वीकृत हुई है। इस प्रकार इस प्रकरण में 8 माह देरी से पेंशन स्वीकार हुई है। राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियमों के अनुसार सेवानिवृति के दो माह के अन्दर हर हालत में पेंशन प्रकरण का निस्तारण होकर पेंशन परिलाभों

का भुगतान हो जाना चाहिये, जबकि इस मामले में 8 माह की देरी हुई है। अतः इस प्रकरण में सेवानिवृति दिनांक से पेंशन स्वीकृति दिनांक तक राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के आदेश प्रसारित किये जाने उचित प्रतीत होता हैं। इस संबंध में आदेश प्रसारित करने का कोई कारण है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान आयोग को अवगत करावें।

19. श्री प्रहलाद राम, बेलदार दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत हुये हैं एवं दिनांक 26.03.2014 को इन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है। इस प्रकरण में 10 माह देरी से पेंशन स्वीकृत हुई है, जो एक गम्भीर विषय है। अतः देरी से भुगतान के लिये क्यों नहीं कार्मिक के पक्ष में राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश क्यों नहीं पारित किये जावें, कोई कारण है तो आयोग को अवगत करावें।

पत्रावली दिनांक 03.07.2014 को प्रस्तुत हो।

30/5/14

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य